हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 86वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–09–2026 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–09–2026 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गयी :–

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्री आनन्द स्वरूप, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0।	अध्यक्ष
2. श्रीमती सोनिका, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 ।	उपाध्यक्ष
3. श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, हरिद्वार।	पदेन सदस्य
4. श्री नन्दन कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार ।	पदेन सदस्य
5. श्री सुशील नौटियाल, जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
6. श्री जी0एस0 तोमर, अधीक्षण अभियन्ता, (सचिव, पेयजल विभाग के प्रतिनिधि.)	पदेन सदस्य
7. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी.(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	पदेन सदस्य
8. श्री अजय कुमार, मुख्य कोषाधिकारी, (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
9. श्री खुशवन्त सिंह चौहान, अधिशासी अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
10.श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

मद संख्या–86 (01):– प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2026 के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

मद संख्या–86 (02) प्राधिकरण की 85 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–01–2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

क्र.	बैठक/मद	विषय	बोर्ड का निर्णय
01	70(10), 80(02), 85(1)	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ0 कड़च्छ से लगाकर गुरूद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
02	72(05), 81(2), 85(2)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक भाग–2 में 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण सम्बन्धी।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
03	72(10), 81(2), 85(3)	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क सम्बन्धी।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
04	78(03), 81(2), 85(4)	शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू–विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है, प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्धी।	बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से अनुपालन आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए कार्य पूर्ण करते हुए तद्नुसार आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
05	80(21), 81(2), 85(5)	आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्मित गोदाम/भण्डार केन्द्र के सम्बन्ध में।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
06	80(22), 81(2), 85(6)	सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक एवं कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्मित गोदाम/वेयर हाउस/भण्डार केन्द्र के सम्बन्ध में।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

07	81(6), 85(7)	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की स्वामित्व वाली परियोजनाओं को विक्रय किये जाने हेतु मार्केटिंग कंसलटेन्सी/ एजेन्सी को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
08	81(14), 85(8)	तहसील–हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम–जमालपुर, स्थित–फुटबाल ग्राउण्ड को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
09	83(03), 85(9)	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं को सम्बन्धित निकायों को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निम्नवत प्रस्तुत की गई :–बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम, रूडकी के कार्यालय पत्र संख्या–5456 दिनांक 27.01.2026 के द्वारा नगर निगम, रूडकी क्षेत्रान्तर्गत कराये गये कार्यों का हस्तगन प्राप्त कर लिया गया है। नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र सं0 792 दिनांक 13.08.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि निगम बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि नगर निगम को उक्त लाईटों के रखरखाव हेत धनांवटन भी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो ही लाईटें हैण्डओवर ली जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के मूलभूत कार्य जैसे–सफाई एवं पथ प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी कार्य बिना नगर निगम की एन0ओ0सी0 के न होने दिये जाये।	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को पुनः नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
10	83(05), 85(10)	भूपतवाला फ्लाईओवर के नीचे विकसित की जा रही पार्किंग तथा स्पोर्टस जोन की टेण्डर का प्रस्ताव ।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

11	83(19), 85(11)	माधव समर्पण समिति विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्मशाला प्रयोजन की स्वीकृति सम्बन्धी ।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
12	84(10), 85(12)	श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री चमन सिंह के ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या– HRDA/NC/0476/24-25 में 02 फिलिंग स्टेशनों के मध्य शिथिलता के सम्बन्ध में।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
13	84(11), 85(13)	श्रीरामपाल सिंह व श्री नवीन कुमार व श्री जनेश्वर प्रसाद व श्री अंबरीश पुत्रगण झल सिंह के ऑनलाईन मानचित्र आवेदन संख्या– HRDA/NC/0238/24-25/RE1 में फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड क्षेत्रफल की शिथिलता के सम्बन्ध में।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।
14	84(12), 85(14)	हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु शैल्टर होम के निर्माण हेतु गठित अनुबन्ध संख्या–104/2023–24 को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने हेतु कार्यालय पत्र सं0 668 दिनांक 14.05.2026 के द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं मुख्य विकास अधिकारी को संदर्भित किया गया। उक्त पत्र के क्रम में प्रशासन एवं प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 267 दिनांक 09.06.2026 के द्वारा विकल्प प्रस्तुत किये गये, जो निम्नवत् है:– (प) भवनों को पूर्ण कर पी०जी० गेस्ट हाऊस के रूप में विकसित किया जा सकता है. क्योकि सिडकुल क्षेत्र इससे सटा हुआ है तथा बहुत से फैक्ट्री कर्मी किराये पर रहते हैं। (पप) इसके निकट में स्टेडियम स्थित है तथा खेल विभाग के अन्य भवन है अतः खेल विभाग को हॉस्टल के रूप में या टीचर्स आवास के रूप में भवन हस्तान्तरित किया जा	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित निर्माण को जिलाधिकारी, हरिद्वार को उनके स्तर से अन्य कार्यों में प्रयोग किये जाने हेतु हस्तान्तरित किया जाये।

Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner

		सकता है, यदि उन्हें आवश्यकता है। इस दशा में शेष भवन पूर्ण करने की जिम्मेदारी खेल विभाग को दी जा सकती है। (पपप) कलेक्ट्रेट अथवा अन्य विभागों के पूल्ड आवास का हिस्सा बनाया जा सकता है टाइप–1 के रूप में उन्हें आवास आवंटित किया जा सकता है। भवन निर्माण पूर्ण करने हेतु जिला योजना से या अन्य मदों से प्रस्तावित किया जा सकता है।	
15	84(14), 85(52), 85(15)	भूपतवाला, सप्तसरोवर तथा श्रवणनाथ नगर क्षेत्र में चल रही व्यवसायिक गति विधियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या कि सर्वेक्षण कराये जाने के उपरान्त शासन स्तर से अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अभिलेख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को प्रेषित किये जा चुके है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या से सहमति व्यक्त की गई प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
16	84(15), 85(16)	आवास एवं विकास में विकसित व्यवसायिक भवनों को गुणदोष के आधार पर नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गई कि प्रकरण में कार्यालय पत्र सं0 549 दिनांक 07.05.2026 के द्वारा सी0टी0सी0पी0 को संदर्भित किया गया था। सी0टी0सी0पी0 द्वारा अपने पत्र सं0 63381 दिनांक 12.05.2026 के द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 605 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को प्रदत्त प्रतिनिधायन आदेश वापस ले लिया गया है। आवास आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में समस्त अभिलेख आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त कराये जा चुके है। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही की जानी है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या से सहमति व्यक्त की गई प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

17	85(3)	हरिद्वार महायोजना व रूड़की महायोजना के नियोजन क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किये गये बाहय क्षेत्रों, जिनका कि भू–उपयोग योजना प्रस्तावित नहीं है तथा जिनका भौतिक सर्वेक्षण नहीं है, को छोडते हुए नियोजन क्षेत्र से लगे हुये राष्ट्रीय राजमार्ग/ राजमार्ग व अन्य आवश्यक विकास सम्भावित न्यून क्षेत्र को ही नियोजन क्षेत्र के साथ सम्मिलित किया जाये तथा यू0आर0डी0पी0एफ0आई0 मानकों का कडाई से नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त क्रम में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय यथा कतिपय सम्बन्धितों को सुनवाई आवश्यकतानुसार करते हुए नियमानुसार लिये गये निर्णयों को समाहित करते हुए संशोधित क्षेत्र का संशोधित महायोजना प्रस्ताव उडा को यथा विधिक प्रक्रिया अनुसार सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिस पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 15.04.2026 से 29.04.2026 तक पुनः आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये गये है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा रूडकी में दिनांक 08.07.2026 व 09.07.2026 तथा हरिद्वार में दिनांक 13.07.2026 को सुनवाई पूर्ण कर ली गयी है। सुनवाई उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा की जा रही है।	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से सी0टी0सी0पी0 को अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
18	85(4)	उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–883 दिनांक 10–12–2025 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

		आख्या प्रस्तुत की गयी कि बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अंगीकृत कर तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।	
19	85(5)	नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में विकसित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या कि स्थल पर पायी गयी कमियों को वैप्कॉस द्वारा ठीक नहीं कराया गया और न ही उस पर आने वाले व्यय की राशि का भुगतान प्राधिकरण को किया गया। तदोपरान्त कार्यालय पत्र सं0 6355 दिनांक 25.05.2026 के द्वारा प्रकरण कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड द्वारा अपने कार्यालय पत्र 414 दिनांक 30.07.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2026 को स्टेट गंगा समिति, उत्तराखण्ड की बैठक सम्पन्न हुयी, जिसके एजेण्डा सं0 08 में निर्णय लिया गया है कि **"Agenda 8: Operation and maintenance of the Chandighat River Front at Haridwar. PD, SMCG apprised the Committee regarding the issue of operation and maintenance (O&M) of the Chandighat Riverfront at Haridwar. After deliberations, the SGC directed the Haridwar-Roorkee Development Authority (HRDA) to take over the operation and maintenance of the Chandighat Riverfront and ensure its proper upkeep, maintenance, and effective management in coordination with the concerned departments."**	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

		तद्नुसार हस्तांतरण की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	
20	85(06)	मा0 उच्चतम् न्यायालय के लिये उच्चतम् न्यायालय में आबध अधिवक्ता को रिटेनरशिप के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या कि अधिवक्ता को प्राधिकरण में इम्पेनल करते हुए भुगतान आदि की कार्यवाही की जा रही है।	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
21	85(07)	ट्रांसपोर्ट नगर के स्वीकृत तलपट मानचित्र के कतिपय भू–खण्डों की मापों एवं क्षेत्रफल में आ रही भिन्नताओं के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या कि तलपट मानचित्र को संशोधित कर लिया गया है तथा संशोधित तलपट मानचित्र के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
22	85(08)	मैसर्स एच0एन0 कॉरपोरेट द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0 एच0आर0डी0ए0/एल0/0053/25–26 के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या कि प्रकरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र सं0 4987 दिनांक 25.02.2026 के द्वारा सी0टी0सी0पी0 को संदर्भित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय का अधिकार शासनादेश सं0 312709 दिनांक 01.08.2025 के अनुसार शासन में निहित है। तद्नुसार कार्यालय पत्र सं0 622 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा **प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है।**	बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या 86 (03) :– हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के स्वीकृत बजट–2025–26 की उपलब्धि तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025–26 प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संख्या–84(03) में स्वीकृत है। स्वीकृति के अनुपालन में कार्यवाही की गयी है। माह–मार्च, 2026 तक की उपलब्धि का विवरण संलग्न है । उक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(धनराशि रू0 लाख में)

		Budget Actual	Budget Actual	Budget Estimate	Actual Budget	Budget Estimate	दिनांक 01.04.2026 से 20.09.2026 तक प्राप्त
		2023-24	2024-25	2025-26	2025-26	2026-27	
प्रा0अवशेष						**12660.53**	
राजस्व आय	REVENUE INCOME						
कुल राजस्व आय	TOTAL REVENUE INCOME	3237.50	3313.78	3576.50	2140.25	3591.50	996.57
कुल पूंजीगत आय	TOTAL CAPITAL INCOME	11340.08	24029.05	31188.29	26943.95	28305.90	4003.53
कुल आय	**TOTAL INCOME**	**14577.58**	**27342.83**	**34764.79**	**29084.20**	**44557.93**	**5000.10**
राजस्व व्यय	REVENUE EXPENSES						
कुल राजस्व व्यय	TOTAL REVENUE EXPENSE	2429.02	2220.21	3576.50	1486.54	3591.50	659.16
कुल पूंजीगत व्यय	TOTAL CAPITAL EXPENSE	7800.29	21157.04	31188.29	9737.65	40966.43	1492.41
कुल व्यय	**TOTAL EXPENSES**	**10229.31**	**23377.25**	**34764.79**	**11224.19**	**44557.93**	**2151.57**

			Actual Budget	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget 31-03-26 March	Budget Estimate	G-TOTAL (01.04.26 TO 20.09.26)
			2023-24	2024-25	2025-26	2025-26	2026-27	

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

				6528.64	4698.85	4698.85	20947.90	
	गत शेष							
A	राजस्व आय	REVENUE INCOME						
A-1								
1	मानचित्र शुल्क	MAP FEES	61.86	96.68	100.00	53.76	100.00	25.37
2	उपविभाजन शुल्क (50 प्रतिशत)	SUBDIVISION FEES	802.74	622.88	1100.00	680.21	1100.00	407.90
3	शमन शुल्क (25 प्रतिशत)	COMPOUND FEES	453.80	661.04	800.00	195.79	800.00	123.97
4	पर्यवेक्षण शुल्क	SUPERVISION FEES	56.07	66.79	85.00	57.31	85.00	22.49
5	अन्य आय (टेण्डर, सील, विविध)	TENDER/MISC	55.00	54.92	66.00	34.46	66.00	21.93
6	विकास शुल्क (10 प्रतिशत)	DEVLOPMENT	132.43	131.97	190.00	116.45	190.00	51.10
7	भू उपयोग परिवर्तन शुल्क (10 प्रतिशत)	LAND CONVERSION	78.66	91.39	120.00	98.45	120.00	2.64
8	अम्बार शुल्क (5 प्रतिशत)	AMBAAR FEES	59.59	59.38	85.50	52.40	85.50	23.00
9	फ्री होल्ड शुल्क (10 प्रतिशत)	FREE HOLD FEES	1.20	6.11	10.00	18.02	10.00	5.50
10	हरिलोक अनुरक्षण शुल्क	HARILOK MAINTAINANCE	7.99	10.53	12.00	14.18	12.00	3.81
11	इन्द्रलोक–1 अनुरक्षण शुल्क	INDERLOK-1 MAINTAINANCE	29.45	40.24	60.00	65.08	60.00	37.21
12	ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण शुल्क	TRANSPORT NAGAR MAITAINANCE	1.94	7.17	15.00	7.81	30.00	15.91
13	हरितिमा शुल्क/पौधारोपण (10 प्रतिशत)	HARITIMA	119.18	118.77	171.00	104.79	171.00	45.99

			Actual Budget	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget 31-03-26 March	Budget Estimate	G-TOTAL (01.04.26 TO 20.09.26)
			2023-24	2024-25	2025-26	2025-26	2026-27	
14	पंजीकरण पुस्तिका	REGISTRATION BOOK	1.02	1.46	2.00	0.52	2.00	0.00
15	लेबर सैस	LABOUR CESS	1102.18	704.52	100.00	30.41	100.00	5.54
16	रोडी बेल वाला पार्किंग/भूपतवाला पार्किंग/शंकराचार्य	RODIBEL WALA PARKING	0.00	13.20	269.00	93.50	269.00	93.08
17	सिटी स्पोर्टस स्टेडियम	CITI SPORTS STADIUM	0.00	2.73	41.00	34.10	41.00	19.34
	योगः– **(A-1)**	**TOTAL:- (A-1)**	**2963.11**	**2689.78**	**3226.50**	**1657.23**	**3241.50**	**904.78**
A-2								
1	विनियोगों एवं खातों से प्राप्त व्याज	Funds received from	**274.39**	**624.00**	**350.00**	**483.02**	**350.00**	**91.79**

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

		appropriations and accounts						
	योगः– **(A-2)**	**TOTAL:- (A-2)**	**274.39**	**624.00**	**350.00**	**483.02**	**350.00**	**91.79**
B	कुल राजस्व आय **(A1+A2)**	**TOTAL REVENUE INCOME (A1+A2)**	**3237.50**	**3313.78**	**3576.50**	**2140.25**	**3591.50**	**996.57**
C	पूंजीगत आय	CAPITAL INCOME						
C-1	योजनाएं (आवासीय)							
1	शिवलोक योजना	SHIVLOK SCHEME	18.53	9.34	25.00	3.35	25.00	1.93
2	हरिलोक योजना	HARILOK SCHEME	10.44	5.63	15.00	7.75	20.00	12.42
3	श्यामलोक योजना	SHYAMLOK SCHEME	6.03	1.71	6.00	9.31	10.00	3.22
4	आश्रय योजना	AASHARAY SCHEME	2.69	0.72	15.00	1.65	50.00	2.26
5	ट्रान्सपोर्ट नगर हरिद्वार	TRANPORT NAGAR HARIDWAR	310.52	788.74	1500.00	1670.71	2000.00	261.52
6	इन्द्रलोक योजना–1/बी0एच0के0	INDERLOK SCHEME - 1	533.23	743.02	1044.15	2502.43	1000.00	655.65
7	इन्द्रलोक योजना–2	INDERLOK SCHEME - 2	0.00	0.00	1500.00	0.00	600.00	0.00
8	गंगा व्यू योजना रुड़की	GANGA VIEW PLAN ROORKEE	0.00	77.95	3000.00	1297.30	1500.00	388.69
9	शैल्टर फण्ड ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0	SHELTER FUND EWS/LIG	114.27	317.36	600.00	1703.22	1800.00	1244.08
10	प्रधानमंत्री आवासीय योजना	PM RESIDENTIAL SCHEME	1195.32	239.18	1000.00	327.93	366.00	25.98
	योगः– **(C-1)**	**TOTAL CAPITAL INCOME:-C-1**	**2191.03**	**2183.65**	**8705.15**	**7523.63**	**7381.00**	**2595.75**

			Actual Budget	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget 31-03-26 March	Budget Estimate	G-TOTAL (01.04.26 TO 20.09.26)
			2023-24	**2024-25**	**2025-26**	**2025-26**	**2026-27**	
D								
1	**अवस्थापना विकास निधि**	**AVSTHAPANA VIKAS NIDHI**	3896.00	4499.04	**6123.50**	**3206.74**	**6123.50**	**1244.56**
2	विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त)/कुंम्भ मेला/डिपोजिट वर्क/कुष्ठ रोगी शेल्टर होम/सांसद निधि/पर्यअन विभाग/एनएच/रोडी बेलवाला/रिचार्ज पिट/डिपोजिट वर्क पार्किंग	SPECIAL ASSISTANCE SCHEME (RECEIVED FROM THE GOVERNMENT FOR DEVLOPMENT)/ KUMBH MELA	5253.05	10817.72	**11660.79**	**11514.73**	**14801.40**	163.22
	योगः– **(D)**	**TOTAL:- (D)**	**9149.05**	**15316.76**	**17784.29**	**14721.47**	**20924.90**	**1407.78**
E	कुल पूंजीगत आय **(C1+D)**	**TOTAL CAPITAL INCOME :- (C1+D)**	**11340.08**	**17500.41**	**26489.44**	**22245.10**	**28305.90**	**4003.53**

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

F	कुल आय (B+E)	TOTAL INCOME (B+E)	14577.58	27342.83	34764.79	29084.20	44557.93	5000.10
G	राजस्व व्यय	REVENUE EXPENSES						
G-1	अधिष्ठान	ESTABLISHMENT						
1	वेतन और भत्ते	SALARY AND ALLOWANCES	978.61	1063.53	1600.00	954.58	1600.00	496.79
2	यात्रा भत्ता बिल	TRAVEL ALLOWANCE EXPENSES	0.09	1.39	4.00	0.00	4.00	0.00
3	नकदीकरण / पेंशन अंशदान	CASH/PENTION CONTRIBUTION	28.34	59.57	100.00	11.74	100.00	8.92
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	MEDICAL REIMBURSEMENT	1.10	2.90	10.00	0.83	10.00	2.98
	योग:– (G-1)	TOTAL:- G-1	1008.14	1127.39	1714.00	967.15	1714.00	508.69
G-2	कार्यालय व्यय	OFFICE EXPENSES						
1	डाक	POST EXPENSES	0.54	0.59	1.00	0.58	1.00	0.09
2	लेखन सामग्री	STATIONERY	3.48	5.03	8.00	7.69	8.00	2.82
3	कार्यालय अनुरक्षण	OFFICE MAINTENANCE	39.65	41.32	70.00	58.97	70.00	4.83
4	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	CHAIRMAN OFFICE MAINTENANCE	2.25	3.82	6.00	1.67	6.00	0.41
5	पुस्तकालय/समाचार पत्र पत्रिका	LIBRARY	0.00	0.05	1.00	0.11	1.00	0.00

			Actual Budget	Actual Budget	Budget Estimate	Actual 31-03-26	Budget March	Budget Estimate	G-TOTAL (01.04.26 TO 20.09.26)
			2023-24	2024-25	2025-26	2025-26		2026-27	
6	टेलीफोन व्यय	TELEPHONE EXPENSES	8.55	12.51	15.00	13.76		15.00	9.49
7	कानूनी व्यय	LEGAL EXPENSES	12.70	12.91	50.00	17.89		50.00	11.20
8	अतिथि सत्कार	WELCOMING THE GUESTS	3.00	3.70	5.00	3.92		5.00	0.70
9	मुद्रण	PRINTING EXPENSES	2.14	0.15	4.00	1.28		4.00	0.18
10	विज्ञापन	ADVERTISEMENT	34.66	63.92	70.00	67.37		70.00	8.93
11	विविध व्यय	MISCELLANY EXPENSES	21.59	35.79	50.00	44.43		50.00	8.97
12	मशीनरी अनुरक्षण	MACHINERY MAINTENANCE	3.23	0.77	8.00	0.35		8.00	0.00
13	विद्युत अनुरक्षण	ELECTRICITY MAINTENANCE	12.15	23.46	40.00	31.42		40.00	12.44
14	विवेकाधीन कोष (उपाध्यक्ष)	VIVEKADHIN FUND VICE PRESIDENT	9.87	26.62	30.00	5.50		30.00	0.00
15	स्टाफ अस्थायी अग्रिम	TEMPORARY ADVANCE PAYMENT	0.00	0.00	5.00	0.01		5.00	0.82

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

16	कम्प्यूटर अनुरक्षण	COMPUTER MAINTENANCE	8.92	12.04	15.00	14.80	15.00	3.96
17	अम्बार शुल्क	AMBAAR FEES	0.00	0.00	85.50	0.00	85.50	0.00
18	हरिलोक अनुरक्षण	HARILOK MAINTAINANCE	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
19	इन्द्रलोक अनुरक्षण	INDERLOK MAINTAINCE	0.00	7.10	60.00	0.00	60.00	0.00
20	ट्रान्सपोर्ट नगर अनुरक्षण	TRANSPORT NAGAR MAITAINANCE	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00
21	कर देयता / पैन्लटी आदि	TAXES/FEES& FINES	0.00	0.00	425.00	-24.04	425.00	0.00
22	परिसम्पत्ति / योजना सुरक्षा	ASSET/SCHEME SAFATY	0.00	0.00	100.00	16.81	100.00	10.34
23	लेवर सैस	LABOUR CESS	1102.18	713.02	100.00	21.61	100.00	0.00
24	परामर्श / प्रशिक्षण आदि	ADVICE/TRANING ETC	9.65	25.70	150.00	24.47	150.00	0.00
25	हरितिमा / पौधारोपण	HARITIMA/PLANTATION	87.01	28.88	171.00	86.79	171.00	20.50
	योगः– **(G-2)**	**TOTAL: - (G-2)**	**1361.57**	**1017.38**	**1496.50**	**410.39**	**1496.50**	**95.68**

			Actual Budget	Actual Budget	Budget Estimate	Actual 31-03-26	Budget March	Budget Estimate	G-TOTAL (01.04.26 TO 20.09.26)
			2023-24	**2024-25**	**2025-26**	**2025-26**		**2026-27**	
G-3	वाहन	**VEHICLE**							
1	रखरखाव अनुरक्षण	MAINTAINANCE	5.72	2.98	6.00	2.58		6.00	1.13
2	पैट्रोल / डीजल	PETORL/DIESEL	22.73	18.01	60.00	32.35		65.00	15.28
3	किराये के वाहन हेतु	RENT FOR VEHICLE	27.18	48.90	80.00	71.94		90.00	34.04
	योगः– **(G-3)**	**TOTAL:- (G-3)**	**55.63**	**69.89**	**146.00**	**106.86**		**161.00**	**50.45**
G-4	कर्मचारी अग्रिम	**EMPLOYEE ADVANCE**							
1	वाहन क्रय हेतु	VEHICLE PURCHASE	0.00	0.00	25.00	0.00		25.00	0.00
2	भवन निर्माण हेतु	BUILDING CONSTRUCTION	0.00	0.00	25.00	0.00		25.00	0.00
	योगः– **(G-4)**	**TOTAL:- (G-4)**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	0.00		**50.00**	0.00
G-5	महायोजना	MAHAYOJNA	3.68	5.55	50.00	2.13		50.00	4.34
	योगः– **(G-5)**	**TOTAL;- (G-5)**	**3.68**	**5.55**	**50.00**	2.13		**50.00**	**4.34**
G-6	कम्प्यूटरीकरण (उडा हेतु)	COMPUTER/ UDDA	0.00	0.00	120.00	0.00		120.00	0.00
	योगः– **(G-6)**	**TOTAL:- (G-6)**	**0.00**	**0.00**	**120.00**	**0.00**		**120.00**	**0.00**
H	कुल राजस्व व्यय **(G1+G2+G3+G4+G5+G6)**	**TOTAL;- (G1+G2+G3+G4+G5+G6)**	**2429.02**	**2220.21**	**3576.50**	**1486.54**		**3591.50**	**659.16**

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

I	पूंजीगत व्यय	CAPITAL EXPENSES						
I-1	संपत्ति क्रय	ASSET PURCHASE						
1	वाहन/मशीन क्रय	VEHICLE/MACHINE PURCHASE	28.84	19.55	50.00	3.54	50.00	2.72
2	कम्प्यूटर क्रय	COMPUTER PURCHASE	20.01	23.63	40.00	27.47	40.00	11.16
3	फर्नीचर/उपकरण	FURNITURE/ EQUIPMENT	16.98	23.01	35.00	9.89	35.00	5.25
	योगः– (I-1)	TOTAL;- I-1	**65.83**	**66.19**	**125.00**	**40.90**	**125.00**	**19.13**
I-2	भूमि क्रय	LAND PURCHASE						
1	नई योजना	NEW SCHEME	0.00	0.00	5560.00	0.00	3000.00	0.00
	योगः– (I-2)	TOTAL ;- (I-2)	**0.00**	**0.00**	**5560.00**	**0.00**	**3000.00**	**0.00**

			Actual Budget	Actual Budget	Budget Estimate	Actual Budget 31-03-26 March	Budget Estimate	G-TOTAL (01.04.26 TO 20.09.26)
			2023-24	2024-25	2025-26	2025-26	2026-27	
I-3	विकास/योजनाओं में विकास कार्य	DEVLOPMENT/SCHEME WORK						
1	हरिलोक योजना	HARILOK SCHEME	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	48.19
2	ट्रान्स्पोर्ट नगर योजना	TRANSPORT NAGAR SCHEME	34.76	252.24	700.00	707.46	700.00	36.16
3	बी0एच0ई0एल0 पुर्नवास योजना	BHEL REHABILITATION	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4	इन्द्रलोक योजना – 1	INDERLOK SCHEME-1	77.90	265.20	300.00	117.37	300.00	142.78
5	इन्द्रलोक योजना–2	INDERLOK SCHEME-2	0.00	233.80	700.00	520.92	500.00	0.00
6	गंगा व्यू योजना रुड़की	GANGA VIEW SCHEME ROORKEE	102.88	903.73	1500.00	1173.81	490.00	4.31
7	नयी योजना	NEW SCHEME	0.00	0.00	500.00	0.00	916.00	0.00
8	प्रधानमंत्री आवासीय योजना	PM RESIDENTIAL SCHEME	6.66	187.53	400.00	20.82	250.00	3.58
9	विकास कार्य/उपाध्यक्ष	DEVLOPMENT WORK	26.67	54.97	500.00	187.19	1000.00	127.11
	योगः– (I-3)	TOTAL (I-3)	**248.87**	**1897.47**	**4700.00**	**2727.56**	**4256.00**	**362.13**
I-4	अवस्थापना विकास निधि	INFRA STUCTURE DEVLOPMENT FUND	**2867.77**	**9328.40**	**7822.78**	**4886.39**	**6123.50**	**943.70**
1	विशेष सहायता योजना (विकास हेतु शासन से प्राप्त)/कुंम्भ मेला/ डिपोजिट वर्क/कुष्ठ रोगी शेल्टर होम/सांसद निधि/पर्यअन	SPECIAL ASSISTANCE SCHEME (RECEIVED FROM THE GOVERNMENT FOR	4617.82	9864.98	**12980.51`**	**2082.80**	**27461.93**	**167.45**

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

	विभाग / एनएच / रिचार्ज पिट / डिपोजिट वर्क पार्किंग	DEVLOPMENT)/ KUMBH MELA						
	योग:– (I- 4)	TOTAL;- (I-4)	7485.59	19193.38	20803.29	6969.19	33585.43	1111.15
J	कुल पूंजीगत व्यय (I 1+I 2+I 3+I 4)	TOTAL CAPITAL EXP (D1+D2+D3+D4)	7800.29	21157.04	31188.29	9737.65	40966.43	1492.41
K	कुल व्यय (H+J)	TOTAL EXPENSES (H+J)	10229.31	23377.25	34764.79	11224.19	44557.93	2151.57

बोर्ड का निर्णय– बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से प्रस्तावित वित्तीय वर्ष–2026–27 का आय व्यय अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि जो धनराशि बचत खाता में विनियोजित है उसको समय समय पर एफ0डी0 के रूप में विनियोजित किया जाये।

मद संख्या 86 (04) :– गंगा व्यू आवासीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में अंतिम भूमि मूल्य रू0–55,000.00 वर्ग मीटर को फ्रीज/स्थाई रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा गंगा व्यू आवसीय योजना ग्राम आसफनगर, तहसील रूड़की जिला–हरिद्वार को विकसित की गयी। उक्त योजना के अन्तर्गत कुल 91 भूखण्ड विकसित किये गये । योजना में विकसित भूखण्डों का मूल्यांकन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भूमि मूल्य रू0–55,000.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करते हुए भूखण्डों का पंजीकरण विभिन्न चरणो मे खोला गया । उक्त चरणों में भूखण्डों का विक्रय निम्नानुसार किया गया–

भूखण्ड कैटेगरी	भूखण्डों की संख्या	पंजीकरण के विभिन्न चरण				योग (संख्यात्मक)
		दिनांक 25.02.2025 से दि0 25.03.2025 के अन्तर्गत आवंटित	दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 09.05.2025 के अन्तर्गत आवंटित की संख्या	दिनांक 11.07.2025 से दिनांक 11.08.2025 के अन्तर्गत आवंटित	दिनांक 20.09.2025 से दि0 31.10.2025 के अन्तर्गत आवंटित की संख्या	

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

		की संख्या		की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7
Category-A	20	02	06	01	00	09
Category-B	22	01	03	00	00	04
Category-C	22	04	02	00	00	06
Category-D	14	01	01	00	00	02
Category-E	13	00	01	01	04	06
Total-	**91**	**08**	**13**	**02**	**04**	**27**

प्राधिकरण बोर्ड की 23वीं बैठक में अनुमोदित भूखण्ड़ों की कॉस्टिंग नियमावली के बिन्दु संख्या 06 में उल्लिखित किया गया है कि विकसित भूमि की दर को अन्तिम (फ्रीज) कर दिया जाये। यह अन्तिम दर एक निश्चित तिथि तक के लिए होगी। यह तिथि (Cut of date) गणना समय निर्धारित की जाएगी। उपरोक्त के कम में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भूमि दर रू0–55,000.00 अनुमोदित की गयी। नियमावली के अनुसार Cut of date के बाद होने वाले पंजीकरणों पर Cut of date से पंजीकरण दिनांक तक का विकसित भूमि की सेक्टर दर पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि योजना में कुल 91 भूखण्ड़ों के विक्रय करने हेतु 4 बार पंजीकरण खोला गया । उक्त अवधि में विकसित 91 भूखण्ड़ों के सापेक्ष कुल 27 भूखण्ड़ों का विक्रय किया गया। कुल भूखण्ड़ों के सापेक्ष विक्रय होने वाले भूखण्ड़ों की अति कमी है। अतः भूखण्ड़ों के विक्रय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुमोदित दर रू0–55,000.00 (पचपन हजार) को फ्रीज किये जाने के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2026–27 में भूखण्ड़ों को विक्रय करने हेतु पंजीकरण खोले जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित भूमि मूल्य रूपये 55,000/– प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित किया गया।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner

मद संख्या 86 (05) :– **विषयः– ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड श्रेणी–गोदाम के पंजीकरण/आवंटन में ट्रांसपोर्टर के साथ–2 हरिद्वार नगर के थोक विक्रेता (Wholesale Traders), लघु निर्माता एवं उद्योग (Small Manufacturers & Factories) ई–कामर्स एवं लॉजिस्टिक्स कम्पनियां (E-commerce & Logistics) एवं आयात–निर्यात व्यापारी (Importers & Exporters) का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड श्रेणी–गोदाम के पंजीकरण/आवंटन में ट्रांसपोर्टर उल्लेख है। ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड़ों के पंजीकरण एवं आवंटन की कार्यवाही 2006 में प्रारम्भ की गयी । वर्ष 2006 से 10 से अधिक बार पंजीकरण खोले जाने के उपरान्त भी अधिकतर भूखण्ड रिक्त चले आ रहे है। जिनका विववरण निम्नवत् है–

क0	गोदाम भूखण्डों की श्रेणी	कुल संख्या	आवंटित	अनावंटित	अनांवटित का कुल क्षेत्रफल (व0मी0)		अनावंटित भूखण्डों मूल्य (रू0)
					भूखण्ड क्षेत्रफल (व0मी0)	अनांवटित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (व0मी0)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोदाम (जी–1)	5	04	01	875.00	875.00	4,00,26,140.00
2	गोदाम (जी–2)	35	09	26	460.00	11960.00	54,71,00,154.00
3	गोदाम (जी–3)	33	03	30	220.00	6600.00	30,19,11,456.00
4	गोदाम (जी–4)	52	14	38	200.00	7600.00	34,76,55,616.00
योग–		125	33	95		27035.00	1,23,66,93,366.00

उल्लेखनीय है कि जनपद के तहसील हरिद्वार, रूड़की, भगवानपुर आदि में (सिडकुल) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के फलस्वरूप ट्रांसपोर्टर हरिद्वार, रूड़की, भगवानपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में शिफ्ट होने के कारण प्राधिकरण द्वारा स्थापित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु ट्रांसपोर्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। जिसके फलस्वरूप ट्रांसपोर्ट नगर योजना में गोदाम हेतु विकसित भूखण्ड रिक्त चले आ रहे है। यहॉ यह भी उल्लेख करना है कि हरिद्वार शहर में थोक विक्रेता, लघु निर्माता एवं उद्योग, ई–कामर्स एवं लॉजिस्टिक्स एवं आयात–निर्यात व्यापारी है। जिस कारण शहर में यातायात भी प्रभावित होता है। उक्त के दृष्टिगत गोदाम

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन में ट्रांसपोर्टरों के साथ–2 थोक विकेता (Wholesale Traders), लघु निर्माता एवं उद्योग (Small Manufacturers & Factories) ई–कामर्स एवं लॉजिस्टिक्स कम्पनियां (E-commerce & Logistics) एवं आयात–निर्यात व्यापारी (Importers & Exporters) को गोदाम भूखण्ड के पंजीकरण एवं आवंटन में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त योजना के रिक्त गोदाम भूखण्डों में ट्रान्सपोर्टरों के साथ–साथ हरिद्वार शहर में थोक विकेता, लघु निर्माता एवं उद्योग, ई–कामर्स एवं लॉजिस्टिक्स एवं आयात–निर्यात व्यापारी है। जिस कारण शहर में यातायात भी प्रभावित होता है। उक्त के दृष्टिगत गोदाम भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन में ट्रांसपोर्टरों के साथ–2 थोक विकेता (Wholesale Traders), लघु निर्माता एवं उद्योग (Small Manufacturers & Factories) ई–कामर्स एवं लॉजिस्टिक्स कम्पनियां (E-commerce & Logistics) एवं आयात–निर्यात व्यापारी (Importers & Exporters) को गोदाम भूखण्ड के पंजीकरण एवं आवंटन में शामिल किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 86 (06) :– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित 528 भवनों के अन्तर्गत रिक्त भवनों को खुले बाजार में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत 528 आवासों का निर्माण हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों का पंजीकरण निम्नानुसार समाचार पत्रों के प्रकाशित कराया गया–

1. पंजीकरण दिनांक 09.09.2022 से 08.10.2022 तक
2. पंजीकरण दिनांक 04.03.2024 से 04.04.2024 तक
3. पंजीकरण दिनांक 25.03.2025 से 25.04.2025 तक
4. पंजीकरण दिनांक 25.08.2026 से 24.09.2026 तक

उपरोक्तानुसार 25 रिक्त भवनों के सापेक्ष पंजीकरण दिनांक 25.08.2026 से दिनांक 24.09.2026 तक खोला गया है। उक्त अवधि में 20 दिवस की अवधि में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे आवेदक

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

जिनके द्वारा आवंटन उपरान्त धनराशि जमा नहीं करायी गयी है, उन 111 आवेदकों को सूचना प्रेषित करते हुए धनराशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया । नियत अवधि में धनराशि न जमा कराये जाने पर दैनिक समाचार पत्रों में सूची प्रकाशित करते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन उपरान्त उक्त आवेदकों द्वारा धनराशि जमा नहीं करायी गयी अर्थात वर्तमान में कुल 136 भवन आवंटन से रिक्त है।

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 83 दिनांक 17.02.2025 में उत्तराखण्ड आवास नियमावली 2025 प्रख्यापित की गयी। उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 20 –:आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं आवंटनः– के प्रस्तर–20 में उल्लिखित किया गया है कि आवंटन प्रकिया हेतु तीन बार सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन कर पात्र अभ्यर्थियों को आवंटन का प्रयास किया जायेगा। यदि तीन बार विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त भी पात्र अभ्यर्थियों को आवंटनोपरान्त कोई आवासीय इकाई आवंटन हेतु अवशेष रह जाती है , तो इसे जन–सामान्य को संबंधित प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त आवंटन किया जा सकेगा एवं इन परिस्थितियों में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान (यदि कोई हो तो) की वापसी सर्व प्रथम सुनिश्चित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड आवास नियमावली 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 24.09.2025 के उपरान्त रिक्त सम्पत्तियों का आवंटन जन–सामान्य के माध्यम से आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त निर्देशित किया गया कि पुनः एक बार सोशल मीडिया आदि पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए भवनों के आवंटन का प्रयास किया जाये। तत्पश्चात् प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

मद संख्या 86 (07):– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय योजनाओं में विकसित दुर्बल आय वर्ग के भवनों के विक्रय के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा विकसित हरिलोक आवासीय योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (प्लाटेड) तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत विकसित ग्रुप हाउसिंग योजना में दुर्बल आय वर्गों के

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

भवनों का निर्माण कार्य कराया गया था। निरन्तर प्रचार–प्रसार के उपरान्त भी योजनाओं में निर्मित समस्त दुर्बल आय वर्गों के भवनों का विक्रय नहीं किया जा सका है। योजना में निर्मित भवनों के सापेक्ष विक्रय से अवशेष एवं उनके निर्धारित विक्रय का भवन मूल्य निम्नवत् है:–

क0 सं0	योजना का नाम	भवन की श्रेणी	कुल निर्मित भवन	कुल विक्रय आवासों की सं0	विक्रय से अवशेष भवनों की सं0	वित्तीय वर्ष 2025–26 तक के लिए स्वीकृत विक्रय मूल्य रू0
1	2	3	4	5	6	7
1	हरिलोक	ई0डब्लू0एस0	126	114	12	प्रथम तल – रू0 4,39,453.00 एवं द्वितीय तल हेतु रू0 4,82,079.00
		आश्रय भवन	78	63	15	रू0 4,14,848.00
2	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (प्लाटेड)	ई0डब्लू0एस0	90	71	19	रू0 7,00,000.00
3	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग)	ई0डब्लू0एस0	48	38	10	रू0 7,00,000.00

उक्त भवनों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण वेबसाईट के माध्यम से प्रचार–प्रसार करते हुए विक्रय करने का प्रयास किया गया किन्तु भवनों का विक्रय नहीं हो पाया। भवनों का विक्रय न होने का मुख्य कारण आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आवेदकों की आय सीमा दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक होना है। हरिलोक आवासीय योजना के भवन 1996, इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (प्लाटेड) 2008 तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग) 2012 में निर्मित किये गये थे। भवन विक्रय न होने के कारण उनके रखरखाव नहीं हो पा रहा है तथा रिक्त भवनों की क्षति हो रही है। ऐसे सम्पत्तियों के विक्रय के सम्बन्ध में शासन द्वारा शासनादेश सं0–4912 दिनांक 04.नबम्बर 1999 में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। शासनादेश के बिन्दु (ड़) में उल्लेखित किया गया है कि ऐसी सभी सम्पत्तियां जिनके निस्तारण/आवंटन के लिए दो से अधिक बार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार के उपरांत भी निरस्तारण/आवंटन न हो पाया हो, तो उन्हे निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जायें:–

Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner

1– विकास कार्य लगभग पूर्ण –सड़क/विद्युत, जलापूर्ति, ड्रनेज तथा मल निस्तारण की व्यवस्था लगभग पूर्ण हो गयी हों।

2– विकास कार्य अपूर्ण ।

(क) हरिलोक आवासीय योजना,ज्वालापुर हरिद्वार में रिक्त भवनो/ भूखण्डों के विकय हेतु निम्न तिथियों में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसार–प्रसार किया गया:–

कमांक	परियोजना का नाम	चरण	तिथि
1	2	3	4
1	हरिलोक आवासीय योजना	प्रथम चरण	05.01.2005 से 29.04.2025 तक
		द्वितीय चरण	22.10.2005 21.11.2005 तक
		तृतीय चरण	21.03.2018 से 31.05.2018 तक
		चतुर्थ चरण	03.06.2006 से 21.06.2006 तक
		पंचम चरण	20.07.2009 से 10.08.2009 तक
		छटा चरण	23.02.2026 से 16.03.2026 तक

(ख) इन्द्रलोक आवासीय योजना,हरिद्वार हरिद्वार में रिक्त भवनो/ भूखण्डों के विकय हेतु निम्न तिथियों में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसार–प्रसार किया गया:–

कमांक	परियोजना का नाम	चरण	तिथि
1	2	3	4
1	इन्द्रलोक आवासीय योजना	प्रथम चरण	23.12.2011 से 15.02.2012 तक
		द्वितीय चरण	16.08.2014 से 30.09.2014 तक
		तृतीय चरण	21.03.2018 से 31.05.2018 तक
		चतुर्थ चरण	01.04.2022 से 12.07.2022 तक
		पंचम चरण	18.08.2023 से 17.11.2023 तक
		छटा चरण	23.01.2024 से 29.02.2024 तक
		सप्तम चरण	26.06.2024 से 11.08.2025 तक
		अश्टम चरण	17.08.2025 से 31.03.2026 तक

प्रथम श्रेणी की सम्पत्तियों को अलोकप्रिय माना जा सकता है अर्थात उनकी मांग की कमी है। जबकि द्वितीय श्रेणी की सम्पत्तियों की मांग अवस्थापना पूर्ण न होने के कारण भी कम हो सकती है। प्रथम श्रेणी की सम्पत्तियो का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाये।

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

❖ आय वर्ग व अन्य प्रतिबन्ध :–

अलोकप्रिय सम्पत्तियों के आवंटन/निस्तारण हेतु आय वर्ग तथा सम्पत्तियों की संख्या के प्रतिबन्ध शिथिल रहेगें। आरक्षण के प्रतिबन्ध भी नहीं रहेगें।

❖ प्रथम आगत–प्रथम प्रदत्त सिद्धांत :–

अलोकप्रिय सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण विशेष कैम्प आयोजित कर विशिष्ट सम्पत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाये। ग्रुप में/बल्क में क्रय करने वालो को प्राथमिकता दी जाये। परन्तु इस प्रकार से आवंटन में भी पारदर्शिता तथा सभी को समान अवसर सुनिश्चित किया जाये अर्थात सम्पत्तियों की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित हो तथा विस्तृत विवरण विशेष कैम्प में प्रदर्शित हों।

शासनादेश का बिन्दु सं0–3 सम्पत्तियों का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं हों–

उक्त बिन्दु में उल्लेखित किया गया है कि सम्पत्तियों के मूल्य में प्रत्येक वर्ष ब्याज जोड़ते हुये मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार मूल्य बढ़ते कभी–कभी मूल्य से अधिक हो जाता है और सम्पत्ति बिकना असंभव हो जाता है। इन परिस्थितयों में आवश्यक है कि सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किया जाये। इस हेतु प्रस्तर –1 में व्यवस्था दी गयी है कि यदि विकास कार्य पूर्ण है अथवा सुगमता से पूर्ण किये जा सकते है तो सम्पत्ति का मूल्य बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किया जायें तथा तद्नुसार सम्पत्ति उपरोक्त प्रकिया अनुसार बेची जाये।

अतः उक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित/विकसित दुर्बल आय वर्ग के भवनो को शासनादेश अनुसार वर्ष 2025–26 के मूल्य को स्थाई रूप से फ्रीज करने तथा शासनादेश दिनांक 04.11.1999 के अनुसार सम्पत्तियों को अलोकप्रिय घोषित करते हुये विक्रय करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त निर्देशित किया गया कि पुनः एक बार सोशल मीडिया आदि पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए भवनों के आवंटन का प्रयास किया जाये। तत्पश्चात् प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

Secretary　　Vice Chairman　　Chairman/Commissioner

मद संख्या 86 (08) :– प्राधिकरण में सिविल ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अथवा बैंक द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा सिविल ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कराये जाने का प्राविधान पंजीकरण पुस्तिका में किया गया है। उल्लेखनीय है कि सिविल ठेकेदारों द्वारा अपने आवेदन के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर बैंक द्वारा जारी किया गया हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कराये जा रहे है। चूंकि दोनों प्रमाण पत्रों का आशय प्रतिभूतियों /आस्तियों से सम्बन्धित है।

अतः सिविल ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र के अतिरिक्त बैंक द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र का प्राविधान पंजीकरण पुस्तिका में किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। तदोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी के द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रदान किये जाने वाले हैसियत प्रमाण पत्र को ठेकेदारों के पंजीकरण पुस्तिका में सम्मिलित किया जाये। बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की प्राधिकरण स्तर से पुष्टि कराये जाने के उपरान्त ठेकेदारों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

मद संख्या 86 (09):– प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम0एस0 चौहान व स्वामी आत्मानन्द गिरी विषय स्वामी गणेशपुरी द्वारा खसरा न0 111 व 121 मि0 स्थित सज्जनपुर पीली, परगना नजीबाबाद व तहसील हरिद्वार को ग्रुप हाउसिंग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवेदक प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम0एस0 चौहान व स्वामी आत्मानन्द गिरी विषय स्वामी गणेशपुरी द्वारा खसरा न0 111 व 121 मि0 स्थित सज्जनपुर पीली, परगना नजीबाबाद व तहसील हरिद्वार में पूर्व में स्थल का भू–उपयोग 78वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 78(12) पर कृषि से आवासीय में परिवर्तन कराते हुए तलपट

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

मानचित्र संख्या HRDA/L/0019/25-26 स्वीकृत कराया गया। वर्तमान में आवेदिका द्वारा उक्त स्वीकृत तलपट मानचित्र का संशोधित प्लान प्रस्तुत कर मानचित्र संख्या HRDA/NE/AA/0054/25-26 ग्रुप हाउसिंग की स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रथम दृष्टिया तकनीकी आख्या निम्न प्रकार है–

क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1000.00 वर्ग मीटर	8687.00 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	9.00 मीटर	15.24 मीटर
03	सेटबैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	8.50 मीटर	8.50 मीटर
	रियरसेटबैक	8.00 मीटर	8.00 मीटर
	साईड सेट बैक–1	8.00 मीटर	8.00 मीटर
	साईडसेट बैक–2	8.00 मीटर	8.00 मीटर
04	भू–आच्छादन	35.00 प्रतिषत	0.0949 प्रतिषत
05	एफ0ए0आर0	1.80	0.623
06	भवन की ऊँचाई	27.00 मीटर (24 मी0 + 3.00 मी0 फसाड़)	27.00 मीटर (24 मी0 + 3.00 मी0 फसाड़)
	तलों की संख्या	स्टिल्ट + 8 तल + फसाड़	स्टिल्ट + 8 + फसाड़
07	पार्किंग	39 ई0सी0एस0	39 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	–	–

अवगत कराना है कि आवेदिका प्रतिमा चौहान आदि द्वारा भूमि परिवर्तन व तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय शपथ पत्र दिनांक 03.10.2023 प्रस्तुत करते हुए उल्लिखित किया था कि

1–''शपथकर्तागण द्वारा उपरोक्त भूमि का कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिस पर भविष्य में तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया जाएगा।''

2– ''शपथकर्तागण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तित भूखण्ड पर किसी अन्य प्रकार का निर्माण जैसे ग्रुप हाउसिंग, कॉम्पलेक्स, कमर्शियल कॉम्पलेक्स आदि का निर्माण नहीं किया जाएगा।''

3– ''शपथकर्तागण द्वारा पी0आई0एल0 संख्या 119/2013 श्री अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं पी0आई0एल0 संख्या 116/2023 श्री अतुल कुमार चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अक्षरसः सुनिश्चित करेगा। किसी भी प्रकार का अवहेलना की

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

जिम्मेदारी हम शपथकर्तागण की होगी। भविष्य में किसी भी वाद–विवाद मा0 न्यायालय में प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।''

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित पी0आई0एल0 सं0–116/2023 अतुल चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तरखण्ड व अन्य में कृषि भूमि पर निर्माण पर रोक लगाए जाने हेतु योजित की गई थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.03.2026 ने निम्नवत् आदेश पारित करते हुए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 05.11.2024 को पारित प्रस्ताव पर किसी अग्रिम गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। ''**Meanwhile, No Further activity shall be permitted to be taken by any party or individiual on basis of resolution of the HRDA passed in its board meeting dated 05-11-2024**''। मा0 उच्च न्यायालय का उक्त आदेश प्रश्नगत मानचित्र पर भी प्रभावी होगा।

अतः आवेदिका प्रतिमा चौहान पत्नी श्री एम0एस0 चौहान व स्वामी आत्मानन्द गिरी शिष्य स्वामी गणेशपुरी द्वारा खसरा नं0–111 व 121 मि0, सज्जनपुर पीली, परगना नजीबाबाद व तहसील हरिद्वार में प्रस्तावित/संशोधित ग्रुप हाउसिंग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पर इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की गयी कि प्रकरण में सी0टी0सी0पी0 से परीक्षण कराते हुए आख्या के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 86 (10) :– श्री प्रदीप बत्रा पुत्र स्व0 श्री राम प्रकश बत्रा व श्री राम अग्रवाल पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल भूखण्ड क्षेत्रफल 1730.80 वर्ग मीटर के अनधिकृत निर्माण का शमन मे शिथिलता प्रदान किये जाने विषयक

श्री प्रदीप बत्रा पुत्र स्व0 श्री राम प्रकश बत्रा व श्री राम अग्रवाल पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा प्राधिकरण में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत वाद संख्या नो0/रूड़की/112/2015–16 के परिपेक्ष्य में 3 सिविल लाईन रूड़की हरिद्वार में भूखण्ड

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

प्रस्तुत आवेदन की प्रारम्भिक जांच की गयी। स्थल के कॉर्डिनेट 29.906766,78.042720 है। प्रस्तुत मानचित्र व स्थल का तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है।

माध्यमिक विद्यालय (Middle School) हेतु तकनीकी विवरणः–

क्र0सं0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	4000.00 वर्ग मीटर	9997.35 वर्ग मीटर (स्थलानुसार)
02	पहुंच मार्ग	12.00 मीटर	6.5 मीटर विद्यमानमार्ग (45.83 प्रतिशत पुहंचमार्ग में कमी)
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	12.00 मीटर	12.00 मीटर
	रियर सेट बैक	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	साईड सेट बैक–1	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	साईड सेट बैक–2	6.00 मीटर	6.00 मीटर
04	भू–आच्छादन	40.00 प्रतिशत	15.04 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	1.60	0.65
06	भवन की ऊँचाई	30.00 मीटर	18.00 मीटर
07	पार्किंग	82 ई0सी0एस0	82 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	–	–

स्थल पर पहुंच मार्ग की चौड़ाई 6.5 मीटर विद्यमान है जबकि भवन उपविधि के अनुसार माध्यमिक विद्यालय भवन के लिए 12.00 मीटर पहुंच मार्ग की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि महायोजना 2025 के अनुसार कृषि भू–उपयोग में डिग्री कॉलेज हेतु अनुमन्यता प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है तथा शासन के पत्रांक संख्या HOUSE-MS/1/133/2023-V-2-Aawas Department दिनांक 01 अगस्त 2025 के बिन्दु संख्या (2) के अनुसार भवन निर्माण एंव विकास उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण की कार्यवाही शासन में निहित है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

क्षेत्रफल 1730.80 वर्ग मीटर के अनधिकृत निर्माण का शमन दिनांक 03.03.2023 को कराया गया था। उक्त के कम में शासनादेश संख्या 1311/वी–2/21–10(आ0)/2020 के कम में 50 प्रतिशत व उससे अधिक की शमन किये जाने की शिथिलता दिये जाने हेतु प्रमुख सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन में अनुरोध किया गया है। अनुसचिव आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक संख्या 1/429998/2204 दिनांक 09 सितम्बर 2026 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियमन 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों एवं संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में परीक्षण करते हुए प्राधिकरण बोर्ड के सुस्पष्ट मंयव्य सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण को एकल समाधान योजना 2021 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या 4031/नो0/रूड़की/112/2015–16 दि0 03/03/2023 के द्वारा प्राधिकरण में शमन किया जा चुका है। जिसमें O.T.S. स्कीम 2021 के प्राविधानों के अनुसार अशमनीय निर्माण को शमन किये जाने हेतु शिथिलिकरण का अनुरोध किया गया है। चूँकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत एक बार समाधान के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कुल निर्मित एरिया 5918.46 वर्ग मीटर के सापेक्ष शमनीय क्षेत्रफल 4367.49 वर्ग मीटर को शमन किया गया है तथा अशमनीय निर्माण क्षेत्रफल 979.64 वर्ग मीटर का ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। शासन द्वारा निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/नियमों/शासनादेशों के प्राविधानों के परिपेक्ष्य में शमन की कार्यवाही की जा चुकी है।

भवन निर्माण विकास उपविधि/नियमों/शासनादेशों के प्राविधानों में शिथिलता के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक संख्या HOUSE-MS/1/133/2023-V-2-Aawas Department दिनांक 01 अगस्त 2025 निर्गत है। जिसके बिन्दु संख्या (2) के अनुसार भवन निर्माण एंव विकास उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण की कार्यवाही शासन में निहित है।

अतः प्रस्ताव है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रकरण में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। तदोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

मद संख्या 86 (11) :– श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह की ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर जिला–हरिद्वार में खसरा न0 297 भूखण्ड क्षेत्रफल 13860.00 वर्गमीटर का कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार कृषि है, को आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर जिला–हरिद्वार द्वारा खसरा न0 297 में भूखण्ड क्षेत्रफल 13860.00 वर्गमीटर का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ शमन आवेदन संख्या–HRDA/L/0059/25-26/RE1 प्रस्तुत किया गया। उक्त शमन आवेदन के क्रम में प्राधिकरण मानचित्रकार की आख्या दिनांक–12.05.2026 के अनुसार, स्थल के की–प्लान एंव जीओ कार्डिनेटस के अनुसार स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या–1311/वी–2/21–10(आ0)/2020 दिनांक–26.07.2021 के बिन्दू संख्या–1.1 के अनुसार, 4,000 से 10,000 वर्ग मीटर तक संबंधित प्राधिकरण बोर्ड, 10,000 से 50,000 वर्ग मी0 तक के भू–खण्ड क्षेत्रफल का भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एंव नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित किया गया है।

प्रश्नगत स्थल के 143 के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा स्थल का 143 अकृषि करा कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से आख्या प्राप्त किया जाना उचित होगा तथा उक्त शासनादेश के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णय– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। प्रकरण में सर्वप्रथम आवेदक द्वारा कृषि भूमि को धारा–143 के अधीन अकृषक भूमि में परिवर्तन कराया जाये। तदोपरान्त

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

प्रस्तावित मानचित्र पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से परीक्षण कराते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

<u>मद संख्या 86 (12):–</u> आवेदक चिन्मय एडवांस रिसर्च एजुकेशन के निर्देशक श्रीमती प्रीत शिखा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा द्वारा क्षेत्रफल 9997.35 वर्गमीटर स्थित खाता सं0 00562, 00685, खसरा सं0 41म0, ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा ऑनलाईन मानचित्र संख्या MAP/HRDA/NC/0447/25-26 माध्यमिक विद्यालय हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

आवेदक चिन्मय एडवांस रिसर्च एजुकेशन द्वारा निर्देशक श्रीमती प्रीत शिखा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा द्वारा ऑनलाईन मानचित्र संख्या **MAP/HRDA/NC/0447/25-26** माध्यमिक विद्यालय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मानचित्रकार की आख्या दिनांक 13.01.2026 के अनुसार स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि के अन्तर्गत आता हैं।

प्राधिकरण लेखपाल की आख्या दिनांक 14.01.2026 के अनुसार, प्रार्थिया श्रीमती प्रीत शिखा पुत्री जयप्रकाश पत्नी राजकुमार शर्मा द्वारा ग्राम रोहालकी, किशनपुर, परगना ज्वालापुर व तहसील हरिद्वार के नाम खतौनी सन् फसली 1428–1433 के खाता सं0 562 खसरा 41मि0 क्षेत्रफल 0.4100 है0 व खाता सं0 686 खसरा 41मि0 क्षेत्रफल 0.3210 है0 भूमि पर संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है व खाता सं0 685 खसरा सं0 41 मि0 क्षेत्रफल 0.4604 है0 भूमि पर संकमणीय भूमिधर के सहखातेदार के रूप में अंकित है। उपरोक्तानुसार ग्राम रोहालकी किशनपुर के भूमि खसरा सं0 41 में श्रीमती प्रीत शिखा द्वारा कुल क्षेत्रफल 1.1914 है0 है। जिसमें से आवेदिका द्वारा अपनी भूमि खसरा सं0 41 मि0 में क्षेत्रफल 0.4100 है0 स्थित मौजा रोहालकी किशनपुर को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत निजी व्यवसायिक (शैक्षिक शिक्षण संस्थान) के प्रयोजन हेतु अकृषि घोषित दिनांक–12.07.2022 को श्रीमती प्रीत शिखा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा की भूमि खाता संख्या 562 के खसरा संख्या 41 मि0 मे से क्षेत्रफल 0.4100 हे0 को आकृषिक घोषित कराया जा चुका है।

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत नियोजित विकास करते हुए मूल–भूत सूविधाओं के साथ आवासीय व अन्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने का है। किन्तु वर्तमान में भूमि अधिग्रहण में जटिल समस्याओं आदि के कारण प्राधिकरण का अपना लैण्ड़ बैंक नहीं हो पा रहा है। प्राधिकरण द्वारा नियोजित एवं विकसित कालोनी के अन्तर्गत जनमानस को भू–खण्ड़ एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत अनुमन्यता प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि महायोजना 2025 के अनुसार कृषि भू–उपयोग में माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु अनुमन्यता प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रण प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। प्रकरण में सी0टी0सी0पी0 से परीक्षण कराते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 86 (13):– आवेदक श्री धनप्रकाश गोयल पुत्र स्व० श्री कृष्णालाल गोयल एवं अन्य सह–स्वामियों द्वारा खसरा संख्या 1536 मि० एवं 1534 मि०, क्षेत्रफल लगभग 743.65 वर्ग मीटर, ग्राम सलेमपुर महदूद 2, परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार स्थित भूमि पर होटल भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र संख्या HRDA/NC/0361/24-25 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री धनप्रकाश गोयल पुत्र स्व० श्री कृष्णालाल गोयल एवं अन्य सह–स्वामियों द्वारा खसरा संख्या 1536 मि० एवं 1534 मि०, क्षेत्रफल लगभग 743.65 वर्ग मीटर, ग्राम सलेमपुर महदूद 2, परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार स्थित भूमि पर होटल भवन निर्माण हेतु ऑनलाईन मानचित्र संख्या HRDA/NC/0361/24-25 प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण मानचित्रकार की आख्या दिनांक 17.12.2024 के अनुसार, आवेदक/वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत जियो–कोऑर्डिनेट्स के आधार पर स्थल हरिद्वार मास्टर प्लान 2025 के अंतर्गत 50 मीटर महायोजना मार्ग से प्रभावित है। महायोजना मार्ग का अधिकार क्षेत्र छोड़ने के उपरांत उक्त स्थल का भू–उपयोग औद्योगिक

Secretary | Vice Chairman | Chairman/Commissioner

श्रेणी में आता है। मास्टर प्लान 2025 के परिक्षेत्रीय जोनिंग विनियमों के अनुसार औद्योगिक भू–उपयोग के अंतर्गत होटल का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन/निर्णय के उपरांत ही विचार योग्य है।

प्राधिकरण तहसीलदार की आख्या दिनांक 16.06.2025 के अनुसार, आवेदक श्री धन प्रकाश गोयल पुत्र श्री कृष्ण लाल गोयल की भूमि खसरा सं0 1534 व 1536 मि0 क्षेत्रफल 743.86 वर्गमीटर स्थित ग्राम सलेमपुर महदूद 2 परगना रूडकी व तहसील हरिद्वार के विक्रय पत्र व खतौनी व शपथ पत्र के आधार पर मानचित्र स्वीकृति हेतु भू–स्वामित्व की पुष्टि की जाती है। उक्त आख्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रेषित की गयी है यदि भविष्य में भूखण्ड के सम्बन्ध मे ं कोई वाद विवाद/संलग्न साक्ष्यों में असत्यता पाये जाने की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। प्रस्तुत आवेदन व स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल के कॉर्डिनेट 29.944050, 78.055603 हैं। प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच की गयी। जिसके अनुसार मुख्य तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है (प्र श्नगत प्रकरण मे भू–खण्ड का कुल क्षेत्रफल 743.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर होटल हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है)। प्रस्तुत मानचित्र का प्रारंभिक मुख्य तकनीकी परीक्षण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500.00 वर्ग मीटर	743.65 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	12 मीटर	45 मीटर (50 मी0 महायोजना मार्ग)
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	8.00 मीटर	8.00 मीटर
	रियर सेट बैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक–1	4.00 मीटर	4.00 मीटर
	साईड सेट बैक–2	1.50 मीटर	1.50 मीटर
04	भू–आच्छादन	50.00 प्रतिषत	48.97 प्रतिषत
05	एफ0ए0आर0	3.00	1.77
06	भवन की ऊँचाई	30.00 मीटर	12.00 मीटर

Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner

07	पार्किंग	14.43	14.92 ई०सी०एस०
08	अन्य विवरण	–	–

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग औद्योगिक के अन्तर्गत है। उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना 2025 के अध्याय–10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.3 के अनुसार औद्योगिक भू– उपयोग भूखंड पर होटल हेतु अनुमन्यता प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण होटल की निर्माण की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णयः– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। प्रकरण में सी०टी०सी०पी० से परीक्षण कराते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

HRDA
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary

Vice Chairman

Chairman /Commissioner

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद संख्या 86 (14) :– आवेदक सी0एम0एस0 रावत पुत्र श्री ऐ0एस0रावत प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार द्वारा खसरा न0 01,79,85,87,89,90,92,94,96,98 ग्राम मिस्सरपुर और खसरा न0 119/3, 120/3, 121/151,152,153,154,155,154,156 और 157 ग्राम देवपुर तहसील एवं जिला हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये भूमि का कुछ भू–भाग महायोजना–2025 के अनुसार 30 से 60 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित भवनों के शिथिलिकरण के सम्बन्ध में।

आवेदक श्री सी0एम0एस0 रावत पुत्र श्री ऐ0एस0रावत प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार द्वारा खाता सं0 01 खसरा न0 01,79,85,87,89,90,92,94,96,98 ग्राम मिस्सरपुर और खसरा न0 119/3, 120/3, 121/151,152,153,154,155,154,156 और 157 ग्राम देवपुर तहसील व जिला हरिद्वार पर व्यवसायिक निर्माण को शमन किये जाने हेतु प्राधिकरण में शमन आवेदन संख्या- HRDA/CC/0025/26-27 पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन के क्रम में आवेदक को आपत्तियां सूचित कि गयी थीं। सूचित आपत्तियों के क्रम में आवेदक द्वारा पत्रांक–रा0मे0का0हरि0/निर्माण /2026–27/498 दिनांक–08.08.2026 (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल हरिद्वार परिसर में एच0आर0डी0ए0 महायोजना 2025 मास्टर प्लॉन के अनुसार 30 से 60 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क से संस्थान परिसर में निर्मित भवन संख्या–12,17 प्रभावित हो रहे है। जबकि 2041 मास्टर प्लान के अनुसार भवन संख्या–12,17 प्रभावित नहीं हो रहे है। उनके द्वारा प्रकरण पर मरीज जनहित, एंव संस्थान व राज्य के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लॉन 2025 के अनुसार उक्त भू–भाग को शिथिलीकरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में पूर्व में भी पत्र दिनांक–01.08.2025 द्वारा जिसके माध्यम से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गयी है कि हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित मार्ग को यथावत रखा जाये व राष्ट्रिय राजमार्ग के सम्बन्ध में यथा आवश्यक एन0एच0आई0 की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक श्री सी0एम0एस0 रावत द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के मानचित्र स्वीकृति हेतु एंव उनके द्वारा प्रकरण पर जनहित, मरीजहित एंव संस्थान व राज्य के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लॉन 2025 के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन संख्या 12 व 17 को मास्टर प्लान 2025 से प्रभावित होना पाया गया है। जबकि प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना 2041 में भवन संख्या 12 व 17 प्रभावित होना नहीं पाया गया है। अतः निर्मित भवन 12 व 17 को शमन किये जाने किये जाने हेतु छूट प्रदान किये जाने की अनुमति हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड का निर्णय :– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त सर्व सम्मति से प्रकरण में सी0टी0सी0पी0 से परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 86 (15) :– कुम्भ मेला हरिद्वार के दौरान आने वाली भीड़ को नियन्त्रित किये जाने हेतु कार्य दिए जाने के प्रस्ताव को, एम0ओ0यू0 आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत निष्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

कुम्भ मेला–2027, हरिद्वार के दौरान आने वाली भीड़ को नियंत्रित किए जाने हेतु योजना एवं वास्तुकला विद्यालय , नई दिल्ली से योजना तैयार कराई जानी है। उपाध्यक्ष ह0रू0वि0प्रा0/मेलाधिकारी, कुम्भ मेला–2027 द्वारा उक्त योजना के कार्य को, एम0ओ0यू0 आवास विभाग अन्तर्गत कराये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड का निर्णय :– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। तद्नुसार आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के एम0ओ0यू0 अन्तर्गत कार्य करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

हरिद्वार स्मार्ट सिटी विकास प्राधिकरण

Secretary　　Vice Chairman　　Chairman /Commissioner

मद संख्या 86 (16) :– इन्द्रलोक आवासीय योजना में सीवर लाईन को शिवालिक नगर योजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद) की संचालित सीवर लाईन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, हरिद्वार द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना में सीवर लाईन को शिवालिक नगर योजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद) की संचालित सीवर लाईन से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया।

जिस पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सीवर लाईन के जोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

बोर्ड का निर्णय :– बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सीवर लाईन के जोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner